भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING
नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

टेलीफोन: 91-22-25752040-43 & 45
फैक्स: 91-22-25752029 / 35
ई-मेल: dgship-dgs@nic.in
वेब: www.dgshipping.gov.in

"बीटा बिल्डिंग" 9 वी मंज़िल / "BETA BLDG." 9th FLOOR,
आई-थिंक टेक्नो कैम्पस / i-THINK TECHNO CAMPUS,
कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST),
मुम्बई - 400042 / MUMBAI – 400 042.

Tele: 91-22-25752040-43 & 45
Fax: 91-22-25752029 / 35
E-mail: dgship-dgs@nic.in
Web: www.dgshipping.gov.in

फाइल नं.: एसएल-जेएसए-4(16)/2010-3

दिनांक: 21.5.15

वाणिज्य पोत परिवहन सूचना संख्या 8/2015

जबकि कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के राजपत्र–असाधारण में प्रकाशित अपनी अधिसूचना सां.आ. 354 (ई) दिनांक: 05.02.2015 (संलग्न: 01 पृष्ठ) के माध्यम से प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 की धारा 2 के प्रावधानों से लाइनर नौवहन उद्योग में लगे वैसल शेरिंग एग्रीमेन्ट्स (वीएसए) को छूट प्रदान की है,

जबकि पूर्वोक्त छूट उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए है जो कि दिनांक 05.02.2015 से 04.02.2016 तक गिनी जाएगी,

जबकि यह छूट किसी भी भारतीय पत्तन से किसी भी राष्ट्र के वाणिज्य पोत को प्रचालित करने वाले सभी राष्ट्रों के वाहकों के संबंध में है,

जबकि उक्त एक वर्ष की अवधि के दौरान, नौवहन महानिदेशक, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से अपेक्षा है कि इन एग्रीमेन्टों (वीएसए) पर नज़र रखे,

जबकि उक्त छूट वाली अधिसूचना में यह अधिदेश है कि ऐसे एग्रीमेन्टों में ऐसी समेकित रीतियां शामिल नहीं हैं जो कि कीमतों को तय करने में शामिल होती हों, क्षमता की सीमा या विक्रय और बाज़ार या ग्राहकों के आवंटन में शामिल हों,

जबकि ऐसे एग्रीमेन्टों के अनुवीक्षण प्रयोजन से, भारत में ऐसे पोतों के प्रचालन हेतु दायी व्यक्ति (एकाधिक) अधिदेशित हैं कि वे नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार, मुंबई के इस कार्यालय में विद्यमान वीएसए और/ या उनके द्वारा किए जाने वाले वीएसए की प्रतियां प्रस्तुत करें, जो कि उक्त प्रयोजनीय अवधि के दौरान ऐसे प्रचालनों पर लागू होते हों, साथ ही अन्य संगत प्रलेख प्रस्तुत करें, जो कि उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर या इन एग्रीमेन्टों के हस्ताक्षर होने की तारीख से दस दिन में से जो भी बाद में हो तब तक प्रस्तुत किए जाने हैं,

जबकि नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार/ भारतीय पोत पंजीकार नौवहन लाइनों की छूट के संबंध में इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख से 6 महीने बाद निष्पादन का मूल्यांकन करेगा ताकि नौवहन लाइनों और व्यापार को उक्त छूट के होने से लाभों का पता चल सके और/ या यह जांचा जा सके कि एग्रीमेन्टों के कारण प्रतियोगिता पर कोई विपरीत प्रभाव हुआ है/ हो रहा है.

--2

जबकि नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार को शक्ति प्राप्त है कि वह वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 411 के अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय समुद्र में उपस्थित पोतों के संबंध में भारतीय नौवहन के या जनहित में निदेश जारी करे,

इसलिए अब, नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार ने एक ऐसी प्रणाली स्थापित की है जिससे पूर्वोक्त वीएसए प्राप्त कर इनका अनुवीक्षण किया जाए, एतद्द्वारा निम्नोक्त प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई है जिसे इस संदर्भ में सभी संबंधित व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा अपनाया जाना है,

1. इन्डियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग, एक मान्यता प्राप्त संगठन (आरओ)/ वर्गीकरण समिति एतद्द्वारा नामांकित की जाती है कि वह इस संबंध में नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार की ओर से निम्नोक्त कार्य करे: 1.1 वैसल शेरिंग एग्रीमेन्ट्स (वीएसए) की प्रतियां प्राप्त करे और इनसे संबंधित सभी प्रलेख/जानकारी प्राप्त करे.

1.2 वीएसए को स्कैन करे और इन सभी वीएसए से संबंधित उनके इलेक्ट्रॉनिक और संरचित मास्टर डाटाबेस को रखें

1.3 नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रूप और रीति से इन पर मासिक रिपोर्टों को तैयार किया जाए

1.4 इस संबंध में जो भी शिकायतें मिली हों उनके संबंध में नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार को समस्त आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाना

1.5 आज तक के सभी वीएसए और संबंधित जानकारी-भरे हुए प्रलेख जो नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार को दिए गए हैं उन्हें फिर से आईआरएस को दिए जाने की आवश्यकता नहीं है. जो अभिलेख इस कार्यालय में पहले से उपलब्ध हैं वे इस प्रयोजनार्थ आईआरएस को अग्रेषित किए जाएं.

2. वैसल शेरिंग एग्रीमेन्टों (वीएसए) के तरीके से भारत में लाइनर सेवाओं को चलाने के लिए उत्तरदायी नौवहन कंपनियां/ एजेन्ट/ ऑपरेटरों से अपेक्षा है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपायों का अनुपालन करें (उक्त अधिसूचना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु), 2.1. इस सूचना के जारी होने की तारीख से दो प्रतियों में वीएसए इन्डियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग (आईआरएस) को किसी वीएसए के हस्ताक्षरित होने की तारीख से 10 (दस) दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाएं कि नौवहन कंपनी/ संस्था यह संविदा कर रही है, इसमें किए गए सभी संशोधन शामिल हों. आईआरएस से पत्राचार का पता प्रयोजनार्थ नीचे दिया गया है,

इन्डियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग
(ध्यानाकर्षण: श्री सी. श्रीराममूर्ति, मुख्य प्रचालन अधिकारी)
52, आदि शंकराचार्य मार्ग,
पवई लेक के सामने, पवई,
मुंबई-400 072.[ई-मेल: vsa@irclass.org,]

--3

2.2. वीएसए का हिस्सा जो भी नौवहन कंपनी/संस्था होगी वह संबंधित वीएसए को प्रस्तुत करने के साथ-साथ वह अपने भारतीय एजेन्टों के माध्यम से (भारतीय विधि(यों) के अंतर्गत शामिल किया गया) एक औपचारिक परिवचन-सह-स्व घोषणा पत्र अनुलग्नक -2 पर संलग्न आरूप में वीएसए का प्रतिनिधित्व करने वाली ऐसी भारतीय एजेन्सी कंपनी/ (02 पृष्ठ) पर प्रबंधन निदेशक के हस्ताक्षर करवा कर यह सत्यापित करेगी कि संबंधित वीएसए के अंतर्गत प्रचालन के कारण प्रतियोगिता पर न तो कोई भारी असर हो रहा है/ न ही हुआ है/ न होने की संभावना है.

2.3. इस तरह का हर नौवहन लाइन का सदस्य लाइन वार अपने द्वारा किए गए लोडिंग के विवरण और कार्गो उतारने के विवरण भारत में प्रचालन के समय भारत के हर टर्मिनल पर देगा, इनमें संबंधित पत्तन शामिल हैं, जो कि गंतव्य/मूल स्थान (नों) के रूप में हों. यह सूचना मासिक रूप से अगले महीने के लिए दी जाना अपेक्षित है इसे आगामी मास के पहले पक्ष के दौरान उपलब्ध करवाया जाना होगा.

2.4. हस्ताक्षर होने की तारीख से 10 (दस) दिन की अवधि के भीतर प्रचालन करने वाली नौवहन कंपनी/संस्था जहां प्रचालन कर रही हो वहां के टर्मिनलों पर जो भी समुद्री टर्मिनल प्रचालन करार (एकाधिक) किया गया हो उसकी सभी प्रतियां प्रस्तुत की जाएं.2.5.

किसी अन्य भारतीय नौवहन कंपनी/संस्था से जो भी विद्यमान स्लॉट चार्टर व्यवस्थाएं हों उनकी दो-दो प्रतियां प्रस्तुत करें2.6. इस संबंध में इन्डियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग द्वारा दी गई सेवाओं के लिए यह समुचित और सही शुल्क लेगी.

3. शिकायत समाधान प्रणाली:

3.1. यदि कोई संतप्त पक्ष यह आरोप लगाता है कि इस अधिसूचना के अंतर्गत नौवहन महानिदेशक, भारत सरकारक को वीएसए फाइल किए जाने के कारण प्रतियोगिता पर भारी विपरीत प्रभाव हुआ है, या हो रहा है या फिर होने की संभावना है तो वह स्पष्ट और विस्तार से अपनी शिकायत उचित कारण और इसके समर्थन में लगने वाले प्रलेखों के साथ लिखित रूप में निम्नलिखित कार्यालय के पते पर भेजे. यह शिकायत एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी भर कर निम्नोक्त ई-पतों पर भेजी जानी चाहिए,

3.1. नौवहन महानिदेशालय,
बीटा बिल्डिंग, 9वीं मंजिल,
आई-थिंक टैक्नो कैम्पस,
कांजूर मार्ग(पूर्व),मुंबई–400042
फोन: 022-25752040/1/2/3 फैक्स:022-25752029/35

3.1.2. ईमेल आईडी (सरकारी)

3.1.2.1. amohd-dgs@nic.in

3.1.2.2. sgb-dgs@nic.in

4. इस वापोप सूचना की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और यह 04.02.16 तक मान्य रहेगी.

5. इसे नौवहन महानिदेशक एवं पदेन अपर सचिव भारत सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है.

(आस मोहम्मद)
सहायक नौवहन महानिदेशक (एमएसएल)

संलग्नः यथोक्त